प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.07.2025

बारिश भी नहीं रोक सकी सेवा का संकल्प – काँवड़ ड्यूटी पर डटे रहे पुलिसकर्मी

कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान यातायात संचालन को सुगम व सुरक्षित बनाए रखने हेतु गाजियाबाद यातायात पुलिस लगातार सतर्कता से ड्यूटी कर रही है। दिन-रात बारिश, भीड़ और दबाव के बीच कार्यरत पुलिसकर्मी आमजन व श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। बारिश के मौसम में पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए आज राज चोपला, गंगनहर टी-पॉइंट, एएलटी चौराहा, घूकना मोड़, मेरठ तिराहा यू-टर्न, हिंडन रिवर मेट्रो यू-टर्न, मोक्षधाम कनावनी कट व मोहननगर जैसे प्रमुख प्वाइंट्स के साथ साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को मेरे द्वारा कुल 200 छाता वितरित किये गए एवं पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया गया और उन्हें निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इन छातों के साथ-साथ पूर्व में वितरित रेनकोट, रेनबूट व रेन हैट का उपयोग करते हुए, आज भी भारी बारिश में पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। भीगते हुए श्रद्धालुओं को दिशा दिखाते, ट्रैफिक को संभालते ये पुलिसकर्मी अपने आप में कर्तव्यपरायणता की मिसाल हैं।

यह पहल ना केवल पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखती है, बल्कि गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण को भी दर्शाती है।

गाजियाबाद यातायात पुलिस सभी आमजन से अनुरोध करती है कि काँवड़ यात्रा के दौरान निर्धारित यातायात व्यवस्था एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा पुलिस का सहयोग करें।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा गिरोह बनाकर चोरी/छिनैती की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/छिनैती के 05 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 22.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरोह बनाकर चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.गुलजार पुत्र हाजी शमशाद निवासी मोहल्ला प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष 2.आमिर उर्फ भालू पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी मोहम्मदी मस्जिद के पास वाली गली प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 3.सुहैल पुत्र मोहम्मद लियाकत निवासी इकराम नगर जामा मस्जिद के पास लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न स्थानों से छीने/चोरी गये 05 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 317/317(2)/317(5)/112(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने ये फोन भिन्न – भिन्न स्थानों से राह चलते व्यक्तियों/महिलाओं से छीने थे तथा यह मोटरसाइकिल हमने थाना क्षेत्र ज्योतिनगर दिल्ली से चोरी की थी आज हम इन फोन व मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.गुलजार पुत्र हाजी शमशाद निवासी मोहल्ला प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
2.आमिर उर्फ भालू पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी मोहम्मदी मस्जिद के पास वाली गली प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
3.सुहैल पुत्र मोहम्मद लियाकत निवासी इकराम नगर जामा मस्जिद के पास लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से चोरी/छिनैती के 05 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अभियुक्त गुलजार के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर लूट/छिनैती/बरामदगी व आयुध अधिनियम के 05 अभियोग, थाना लोनी में लूट व आयुध अधिनियम का 01 अभियोग तथा थाना जाफराबाद दिल्ली में चोरी/बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-08)**
अभियुक्त आमिर के विरुद्ध थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-02)**
अभियुक्त सुहैल के विरुद्ध थाना लोनी लोनी बॉर्डर पर चोरी/बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग-03)**
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 22.07.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त सालिम पुत्र सलीम निवासी आर्य नगर कब्रिस्तान के सामने सिमया वाली गली लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना लोनी बार्डर क्षेत्र से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट के बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले लोनी बार्डर क्षेत्र से चोरी की थी। जिसे आज मैं बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सालिम पुत्र सलीम निवासी आर्य नगर कब्रिस्तान के सामने सिमया वाली गली लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से थाना लोनी बार्डर क्षेत्र से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट के बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 23 ग्राम 720 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद।

दिनांक 21.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त इमरान पुत्र स्वर्गीय नबावउद्दीन निवासी गली नम्बर-02 नीलम फैक्ट्री प्राइमरी स्कूल के पास इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 23 ग्राम 720 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई तथा अभियुक्तगण शाबेज व फरीद भागने में कामयाब रहे। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 8/20/29(1) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे पास से जो स्मैक बरामद हुई है यह मुझे मेरे साथियों शाबेज व फरीद ने बेचने के लिए दी थी तथा इसके बदले मुझे मजदूरी देने को कहा था। मैं स्मैक बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान पुत्र स्वर्गीय नबावउद्दीन निवासी गली नम्बर-02 नीलम फैक्ट्री प्राइमरी स्कूल के पास इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1. शाबेज पुत्र अज्ञात पता अज्ञात।
2. फरीद पुत्र अज्ञात पता अज्ञात।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 23 ग्राम 720 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उक्त अवैध स्मैक बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई पीली धातु की 02 चैन, 01 पेन्डल, कान की 01 जोडी झुमकी, 01 जोडी टाप्स, 01 जोडी कुंडल, 04 जोडी बाली व 01 रिपिट, नाक की 02 जोडी लौंग व 01 नोज पिन व चोरी किये हुये 70,000/- रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 14.07.2025 को वादी श्री कासिम पुत्र मुबीन निवासी शालीमार अपार्टमैंट 80 फुटा रोड़ शालीमाल गर्डन गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के घर से अज्ञात चोर द्वारा अलमारी का ताला तोड़कर रुपये तथा गहने चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त शाकिर उर्फ साबिर पुत्र बुन्दु खां निवासी पानी की टंकी के पास अमर कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को गंदे नाले की पुलिया के पास शालीमार गार्डन से चोरी की हुई पीली धातु की 02 चैन, 01 पेन्डल, कान की(01 जोडी झुमकी, 01 जोडी टाप्स, 01 जोडी कुंडल, 04 जोडी बाली व 01 रिपिट), नाक की (02 जोडी लौंग व 01 नोज पिन) व चोरी किये हुये 70,000/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर उर्फ साबिर पुत्र बुन्दु खां उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर उर्फ साबिर पुत्र बुन्दु खां उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि करीब 5-6 दिन पहले अभियुक्त उपरोक्त ने 80 फुटा रोड़ पर एम टाईप फ्लैट से जिसकी खिड़की खुली हुई थी, उसमें घुसकर कुछ रुपये व बरामद जेवर चुराये थे। उसमें से चुराये पैसों को अभियुक्त ने खर्च कर दिया तथा अभियुक्त ने लोनी में कुछ जेवर बेचकर 70 हजार रुपये प्राप्त किये जो अभियुक्त से बरामद हुए है तथा आज अभियुक्त बाकी बचे हुए जेवर को बेचने के लिये निकला था पर कोई ग्राहक नहीं मिला तो अभियुक्त इन्हें लेकर सीमापुरी बेचने के लिये जा रहा था। जिसे पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर उर्फ साबिर उपरोक्त ने बताया कि मैं बचपन से ही शहीद नगर साहिबाबाद में रहा हूँ हमारा अपना मकान था जो हमने 6-7 साल पहले बेच दिया था, उसके बाद मैं शहीद नगर मैं नाले के पास किराये पर रहता था कुछ समय पहले जेल चला गया था उसके बाद से लोनी में जाकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाकिर उर्फ साबिर पुत्र बुन्दु खां निवासी पानी की टंकी के पास अमर कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

पीली धातु की 02 चैन, 01 पेन्डल, कान की(01 जोडी झुमकी, 01 जोडी टाप्स, 01 जोडी कुंडल, 04 जोडी बाली व 01 रिपिट), नाक की (02 जोडी लौंग व 01 नोज पिन) व चोरी किये हुये 70,000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर उर्फ साबिर पुत्र बुन्दु खां उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 लेपटॉप, सफेद धातु की 01 जोड़ी पायल, घटना में प्रयुक्त 01 कटर व चोरी किये हुये 1470/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.07.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी अभिषेक पुत्र रुप सिंह निवासी ई 101 राधा कुंज ब्रजविहार गाजियाबाद की लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 20.07.2025 को वादी के घर की छत से किसी अज्ञात चोर द्वारा 01 लेपटॉप व 01 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. संदीप पुत्र प्रदीप हाल पता राम विलास के मकान में राशन वाली गली कडकड मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता जलोखर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र करीब 27 वर्ष, 2. सोनू उर्फ छोटू पुत्र जगवत सिंह निवासी अम्बेडकर गली कडकड मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष व 3. संजीव पुत्र कुलदीप शर्मा हाल पता गोलकुआँ चौक के पास कडकड मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता लालनेर गाँव थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष को रेलवे मैदान के पास रेलवे लाईन से चोरी का 01 लेपटॉप, सफेद धातु की 01 जोडी पायल, घटना में प्रयुक्त 01 कटर व चोरी किये हुये 1,470/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत दोनों अभियोग की धारा 305(ए),305,331(4) बीएनएस में धारा 331(4),317(5),3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि तीनों अभियुक्तों ने मिलकर करीब 01 महीने पहले कडकड मॉडल में जितेन्द्र के मकान का ताला काटकर कमरे में रखे कान के झाले, माथे का टीका, पायल तथा वहाँ रखे पैसे व मोबाइल फोन को चोरी किया था। कान के झाले, माथे का टीका व मोबाइल फोन को तीनों अभियुक्तों ने चलते फिरते लोगों को बेच दिया था और तीनों अभियुक्तों ने राधा कुंज बृज विहार के 01 घर से बरामद लेपटॉप व मोबाइल फोन चोरी किया था। उसमें से मोबाइल फोन राह चलते लोगों को सस्ते दामों में बेच दिया था। जो पायल तीनों अभियुक्तों से बरामद हुई हैं वो भी कडकड मॉडल टाउन से करीब 01 महीना पहले चोरी की थी। आज तीनों अभियुक्त चोरी किये हुये लेपटॉप को बैचने की फिराक में थे। जिन्हें पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मोके से पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. संदीप पुत्र प्रदीप हाल पता राम विलास के मकान में राशन वाली गली कडकड मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता जलोखर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र करीब 27 वर्ष।
2. सोनू उर्फ छोटू पुत्र जगवत सिंह निवासी अम्बेडकर गली कडकड मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
3. संजीव पुत्र कुलदीप शर्मा हाल पता गोलकुआँ चौक के पास कडकड मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता लालनेर गाँव थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी का 01 लेपटॉप,
- सफेद धातु की 01 जोडी पायल,
- घटना में प्रयुक्त 01 कटर व
- चोरी किये हुये 1470/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त संदीप पुत्र प्रदीप उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ छोटू पुत्र जगवत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी व एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त संजीव पुत्र कुलदीप शर्मा उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 11.04.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी मौहम्मद जैद पुत्र मौहम्मद शब्बीर निवासी ग्राम अकबरपुर झौझा पोस्ट गुलावठी जिला बुलन्दशहर की लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 08.04.2025 को वादी की मोटर साइकिल को पासपोर्ट ऑफिस के सामने महाराजपुर लिंकरोड़ से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस टीम की सहायता से मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. फखरुद्दीन पुत्र मौ0 इरसाद निवासी पप्पू कॉलोनी विक्रम इन्कलेव 20 फूटा रोड़ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष व 2. सुहैल पुत्र गफ्फार निवासी म0न0 डी 390,70 फूटा बीच रोड़ मस्जिद के पास गली न0 01 न्यू सीमापुरी शाहदरा उम्र करीब 23 वर्ष को डाबर तिराहा से पहले सर्विस रोड़ महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोटर साइकिल को दोनों अभियुक्तों ने महाराजपुर में पासपोर्ट ऑफिस के पास से करीब 03 महीने पहले चोरी किया था। जिसे आज दोनों अभियुक्त बेचने की फिराक में आये थे।जिन्हें आज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. फखरुद्दीन पुत्र मौ0 इरसाद निवासी पप्पू कॉलोनी विक्रम इन्कलेव 20 फूटा रोड़ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. सुहैल पुत्र गफ्फार निवासी म0न0 डी 390,70 फूटा बीच रोड़ मस्जिद के पास गली न0 01 न्यू सीमापुरी शाहदरा उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल पुत्र गफ्फार उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियोग पंजीकृत है। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त फखरुद्दीन पुत्र मौ0 इरसाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम